

केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/371
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00369
CICOM/R/2016/00913

दिनांक: 15.09.2016

अपीलकर्ता : मोहम्मद अमजद,
मकान नं.14/360, कुतुब शेर,
सहारनपुर - 247001.
उत्तर प्रदेश ।

निर्णय की तारीख : 15.09.2016

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	22.06.2016
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	01.08.2016
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एस.पी.बेक
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	02.08.2016
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	164179/12.08.2016
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	524/07.09.2016

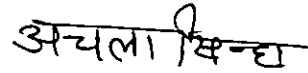
1. अपीलकर्ता ने 87 पृष्ठों का आर.टी.आई. आवेदन दाखिल कर सूचनाएं मांगी थी, अपीलकर्ता ने प्रस्तुत प्रथम अपील के माध्यम से अभियोग लगाया है कि उन्हें अभी तक वांछित सूचना प्रदान नहीं की गई है ।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि पत्र सं. CICOM/R/2016/00913 दिनांक 01.08.2016 के माध्यम से श्री एस.पी.बेक, नोडल अधिकारी, आर.टी.आई. सेल द्वारा अपीलकर्ता को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है जिसमें उनसे यह अनुरोध भी किया गया है कि उनका आवेदन 87 पृष्ठों का है, कृपया आवेदन को बिल्कुल स्पष्ट व संक्षिप्त रूप में भेजें । प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है तथा अधोहस्ताक्षरी इससे पूर्णतः सहमत हैं । चूंकि सूचना दिनांक 01.08.2016 को प्रदान की गई है तथा दिनांक 02.08.2016 को प्रथम अपील दाखिल की गई है इससे स्पष्ट है कि अपीलकर्ता को प्रथम अपील दाखिल करने से पूर्व सूचना प्राप्त नहीं हो पाई थी । अतः अपीलकर्ता के सुलभ संदर्भ हेतु प्रदान की गई सूचना की प्रतिलिपि संलग्न है ।

3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई हो, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

संलग्नक - यथोपरि ।



(अचला सिन्हा)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।